DAINIK BHASKAR, Surat, 22.5.2020
Page No. 2, Size:(6.81)cms X (16.21)cms.

श्रमिक की मौत का मामला वकील ने मानवाधिकार आयोग में दी अर्जी

सूरत | अमरोली की अंजनी इंडस्ट्रीज में पिछले हफ्ते सत्यवान स्वाई नामक एक श्रमिक की मौत हो गई थी। परिवार ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया था। सत्यवान के भाई संतोष ने ओडिशा में अमरोली पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। मुंबई हाईकोर्ट के वकील श्रीकांत पाडी ने इस बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अर्जी दी है। वकील ने मामले की जांच और मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की मांग की है। इस केस में शामिल पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई है। वकील ने बताया कि कारखाने में लगे सीसीटीवी कैमरे से पूरी सच्चाई सामने आएगी।

DAINIK JAGRAN (JAGRAN CITY), Chandigarh, 22.5.2020
Page No. 2, Size:(11.26)cms X (17.07)cms.

पुलिस द्वारा नौ साल की लड़की की पिटाई पर मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

मामला पंचकूला चंडीगढ़ सीमा विवाद में उलझा, दोषियों के खिलाफ नहीं हो रही कार्रवाई
डीसीपी पंचकूला से रिपोर्ट तलब

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पंचकूला की राजीव कालोनी में एक नौ साल की बच्ची की पिटाई पर हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए पंचकूला के डीसीपी को इस मामले की जांच कर चार सप्ताह में रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।

हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस एसके मित्तल, सदस्य केसी पुरी व सदस्य दीप भाटिया की बेंच ने एक समाचार पत्र में छपी खबर पर संज्ञान लेकर यह आदेश जारी किया। प्रकाशित समाचार के अनुसार लॉकडाउन के दौरान पंचकूला की राजीव कालोनी में रहने वाली एक नौ साल की बच्ची को पुलिस ने बुरी तरह से डंडों से मारा। बच्ची बुरी तरह दर्द से तड़पती रही। पंचकूला पुलिस ने बाद में बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया। बच्ची के परिजन जब इस मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने लगे तो पंचकूला पुलिस ने कहा कि मारपीट चंडीगढ़ पुलिस ने की है, वही इस मामले की जांच करेगी। पंचकूला पुलिस ने इस मामले की मेडिकल रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज चंडीगढ़ पुलिस को दे दिए हैं, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि मामला पंचकूला की राजीव कालोनी में हुआ है लिहाजा पंचकूला पुलिस ही इस मामले की जांच करेगी। दोनों पुलिस के इस रवैये से बच्ची के परिजन परेशान है कि वो शिकायत किसको और कहां करें। मानवाधिकार आयोग ने अपने संज्ञान में कहा कि सीमा विवाद में एक बच्ची की निर्दयता से पिटाई को अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक छोटी बच्ची के मानवाधिकारों का यह खुलेआम हनन है कि उसकी बेरहमी से पिटाई करके भी आरोपित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आयोग ने पंचकूला के डीसीपी को आदेश दिया है कि वो 8 जुलाई से पहले इस मामले की जांच कर उसकी रिपोर्ट आयोग के सामने पेश करे।